अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)
(An Autonomous Organization under the Ministry of AYUSH, Govt. of India)

संख्या- ई-11011/4/2025-एआईआईए/ 5840-5867 **दिनांक: 27.02.2026**

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय: 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में चार बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक) आयोजित करनी अपेक्षित हैं। 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन 31 मार्च 2025 से पहले किया जाना अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक 02.03.2026 को अपराहन 02:30 बजे सम्मेलन कक्ष (भूतल) प्रशासन ब्लॉक में आयोजित की जायेगी।

अतः उपरोक्त तिमाही बैठक के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग से संबन्धित त्रैमासिक रिपोर्ट एवं समीक्षा रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में सम्मिलित हो। कृपया सभी विभागाध्यक्ष निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व सम्मेलन कक्ष (भूतल) प्रशासन ब्लॉक (प्रस्तावित) में अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लें ताकि तिमाही बैठक समय प्रारम्भ की जा सके।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नः- तिमाही बैठक हेतु कार्यसूची।

27/2/26
(वित्त सलाहकार)

निम्नलिखित को प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषितः

1. निदेशक, सचिवालय
2. निदेशक, के निजी सचिव (दिनांक 02.03.2026 को अपराहन 02:30 बजे को तिमाही बैठक के आयोजन हेतु सम्मेलन कक्ष की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ।)
3. डीन (पीएचडी), सचिवालय
4. डीन (पीजी), सचिवालय
5. सभी विभागाध्यक्ष

गौतमपुरी, सरिता विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110076
Gautampuri, Sarita Vihar, Mathura road, NEW DELHI-110076
E-mail: director-@aiia@gov.in Phone: 011-29948658 Fax: 011-29948660

(i) द्रव्यगुण विभाग

(ii) रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना विभाग

(iii) शल्यतंत्र विभाग

(iv) शालाक्य तंत्र विभाग

(v) स्त्रीरोग एवम् प्रसूति तंत्र विभाग

(vi) संहिता सिद्धांत विभाग

(vii) रोग निदान एवम विकृति विज्ञान विभाग

(viii) कौमारभृत्य विभाग

(ix) कायचिकित्सा विभाग

(x) पंचकर्म विभाग

(xi) रोग निदान विभाग

(xii) स्वस्थवृत विभाग

(xiii) अस्पताल विभाग

(xiv) सम्पदा विभाग

(xv) प्रशासन विभाग

(xvi) लेखा विभाग

(xvii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वे तिमाही बैठक आयोजित कराने हेतु संबन्धित सूचना कार्यालय की वैबसाइट तथा e-office में अपलोड करने तथा ऑनलाइन बैठक के आयोजन के समय कंप्यूटर को सेट-अप करने संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु।

(xviii) पुस्तकालय विभाग

(xix) स्टोर विभाग से अनुरोध है कि तिमाही बैठक से संबन्धित स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु।

(xx) क्रियाशरीर विभाग

(xxi) जनसम्पर्क विभाग से अनुरोध है कि तिमाही बैठक से संबन्धित फोटोग्राफी कार्य करने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने हेतु।

6. गार्ड फाईल
7. नोटिस बोर्ड

गौतमपुरी, सरिता विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली -110076
Gautampuri, Sarita Vihar, Mathura road, NEW DELHI-110076
E-mail: director-@aiia@gov.in Phone: 011-29948658 Fax: 011-29948660

31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यसूची

1. पिछली तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2025) के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2. 01 अक्टूबर 2025- 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तिमाही के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा:-

क्रम सं.	विचारणीय बिंदु	वर्तमान तिमाही में स्थिति	पिछली तिमाही में स्थिति
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का पालन।	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
2.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार सभी क्षेत्रों से प्राप्त हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य है।	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
3.	मंत्रालयों/प्रभागों के लिए पत्रों के निस्तारण की स्थिति (समन्वय/अनुभाग द्वारा भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा) **(क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70 % क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के 100% राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति)**	क क्षेत्र से क क्षेत्र का प्रतिशत- 95% क क्षेत्र से ख क्षेत्र का प्रतिशत- 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र का प्रतिशत- किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया गया। क क्षेत्र से क क्षेत्र में पत्राचार का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया गया।	क क्षेत्र से क क्षेत्र का प्रतिशत- 94.48% क क्षेत्र से ख क्षेत्र का प्रतिशत- 100% क क्षेत्र से ग क्षेत्र का प्रतिशत- 51% क क्षेत्र से क एवं ग क्षेत्र में पत्राचार का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया गया।
4.	फाइलों में टिप्पणी लेखन **('क' क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणी लेखन का लक्ष्य 80 प्रतिशत है।)**	फाइलों में टिप्पणी लेखन का प्रतिशत- 59%	फाइलों में टिप्पणी लेखन का प्रतिशत-48%

3. वर्ष 2025-2026 हेतु हिन्दी पुस्तकों की खरीद के संबंध में चर्चा।
4. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-2026 के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा।
5. उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) द्वारा प्रेषित कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/01/2026/संनिनि/उ.क्षे.का.का.-1 (दि.) दिनांक 28/01/2026 द्वारा दिये गए निर्देशों पर चर्चा।
6. संस्थान द्वारा जारी पत्र संख्या ई-11011/2/2024-एआईआईए/पार्ट-1/4448-4451 दिनांक 22/12/2025 के अनुपालन पर चर्चा।
7. जिन विभागों का राजभाषा हिन्दी से संबन्धित पत्राचार एवं टिप्पण प्रतिशत राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानक प्रतिशत से कम रहा है, उन पर चर्चा।
8. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।